

एक शातिर जिलाबदर अपराधी व 04 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार—

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक 18.03.2023 सायंकाल देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बंधा रोड हनुमान मंदिर के पास से जिलाबदर अपराधी पवन पाण्डेय पुत्र स्व० गुलाब पाण्डेय निवासी मठियाटोला थाना कोतवाली मऊ को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध मु०अ०सं० 103/23 धारा 10 गुण्डा नि० अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया। साथ ही साथ वारंटी अभियुक्तगण आबिद पुत्र लड्डू, शकील पुत्र अब्दुल अली, मैटू पुत्र शकील व सरवर पुत्र समतुल्ला निवासीगण मुंशीपुरा थाना कोतवाली मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

03 दंपति साथ-साथ रहने को हुये राजी, कुल 11 मामलों का हुआ निस्तारण—

पुलिस अधीक्षक/अपर अधीक्षक मऊ के निर्देशन में आज दिनांक 19-03-2023 को पुलिस लाईन मऊ में परिवार परामर्श की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें कुल 34 मामले पेश हुए जिनमें 11 मामलों का निस्तारण हुआ। इस दौरान परिवार परामर्श केन्द्र के सदस्यों के प्रयास से सरिता/अरविन्द, सरिता/सोनू चौहान, सूबेदार/शशिकला ने आपसी मनमुटाव को खत्म कर सहर्ष बतौर पति-पत्नि साथ रहने को तैयार हो गए। सोनी/शशिकांत में दोनों पक्ष ने आपसी समझौते के आधार पर अलग होने का निर्णय लिया तथा एक-दूसरे को स्वतन्त्र करने का ब्यूरो के समक्ष समझौता पत्र दाखिल किया।

किरण/अश्विनी, हुस्नआरा/मोहसिन, प्रियंका /अरविन्द, मुमताज/मुबस्सेरा, रंजना यादव/रामकेवल, हेवन्ती/अर्चना यादव कुल 6 मामलों में से 04 मामलों में दोनों पक्ष के अदालत में केस चलने के कारण तथा 02 में प्रार्थिनी के स्वयं ससुराल जाने की अनिच्छा से फाईल बन्द की गयी।

एक मामला श्वेता यादव/धन्नजय यादव का आया जिसमें प्रार्थिनी ने सबूत पेश किया जिसमें पति ने अपनी मोबाईल से पत्नि की मोबाइलफोन पर स्वयं के दूसरी औरत के साथ रहने तथा पत्नि को गाली-गलौज, बच्चा गिराने आदि के लिए बाध्य किया था, पिछली तारीख पर पति को इस तारीख पर आने को समझाया गया किन्तु उसने ब्यूरो की राय मानने से इन्कार किया अंतः ब्यूरो ने श्वेता के सबूत के आधार पर पति धन्नजय के खिलाफ एफ आई आर का निर्णय लिया। परिवार परामर्श बैठक की अगली तारीख 02-04-2023 दी गयी है। इस दौरान अर्चना उपाध्याय, सर्वेश दूबे, मौलवी अरशद, उ०नि० आत्मा सिंह, महिला आरक्षी पुष्पा गुप्ता, प्रीति दूबे, सोनी सिंह व काफी संख्या में पक्षकार व उनके परिवारजन उपस्थित रहे।